विकसित भारत के लिए खोला खजाना

राज्यों को दी 26,863 हजार करोड़ की पहली किस्त

नई दिल्ली, 05 जुलाई. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रविवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा राज्यों को योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी की.

चौहान ने कहा कि सरकार का संकल्प था कि 1 जुलाई, 2026 से विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में बिना किसी व्यवधान के लागू हो. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि योजना पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है तथा मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी में ट्रांजीशन पूरी तरह सहज और सुचारु रहा है. अब तक किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा संचालन संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर भाई-बहनों की सेवा ही भगवान की सेवा है. सरकार का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार, समय पर मजदूरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी के अंतर्गत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.

> केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि आज जारी की गई 25,863 करोड़ की पहली किस्त का उद्देश्य राज्यों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे भी अपनी हिस्सेदारी की राशि समय पर जारी करें, जिससे मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विकसित भारत-जी राम जी के प्रभावी क्रियान्वयन में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.

लॉरेंस गैंग के दो शूटर प्रवेश और हिमांशु का एनकाउंटर

चंडीगढ़, 05 जुलाई. हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में अपराधियों के खिलाफ बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो कुख्यात शूटरों को मुठभेड़ में मार गिराया. यह कार्रवाई बालौर बाईपास इलाके में उस समय हुई जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. दिल्ली स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी की. जैसे ही पुलिस टीम ने दोनों को रोकने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी.

चाहूं तो एक बार में सबको निपटा दूं : ट्रम्प

वाशिंगटन, 05 जुलाई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर एक ऐसा बयान दिया, जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के सभी बड़े नेता एक जगह इकट्ठे हैं. ये ऐसा वक्त है, जब अमेरिका चाए तो एक ही वार में सबको खत्म कर सकता है. डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस से बातचीत में ये बात कही. उन्होंने कहा- वे सब वहां हैं. एक गोली चला दी जाए तो सबको खत्म किया जा सकता है. डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा. आपको बता दें कि ईरान के पूर्व नेता खामेनेई की हत्या अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में हुई थी. यह हमला युद्ध के पहले दिन हुआ था. ट्रंप ने कहा कि वे अंतिम संस्कार पर नजर रख रहे हैं, उन्होंने दावा किया कि ईरान बातचीत फिर शुरू करने के लिए बहुत उतावला है.

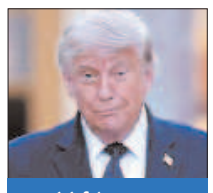

खामेनेई के मातम पर ट्रंप का बयान

नबीन ने की चुनाव रणनीति पर चर्चा

लखनऊ, 05 जुलाई. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को अपने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की.

आज सुबह आयोजित बैठक में श्री नवीन ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से मुलाकात कर संगठन के अनुभवों, संगठनात्मक मजबूती और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया. बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने अपने अनुभव साझा किए.

नितिन नबीन ने ब्रजेश पाठक के घर किया भोजन

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं. शनिवार को उन्होंने भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों एवं संगठनात्मक रणनीति पर विस्तृत चर्चा की. रविवार को नितिन नबीन ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर दोपहर का भोजन किया. इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ खाट (चारपाई) पर बैठकर आम का स्वाद लेते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अनौपचारिक चर्चा करते नजर आए.

चन्नी और राजा के विवाद में सिद्धू गुट की भी हुई एंट्री

चंडीगढ़, 05 जुलाई. पंजाब कांग्रेस में जारी आंतरिक संघर्ष अब और गहराता जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच चल रही खींचतान में अब नवजोत सिंह सिद्धू गुट की भी सक्रिय एंट्री हो गई है, जिससे पार्टी के भीतर गुटबाजी और स्पष्ट रूप से सामने आ गई है.

गुटबाजी तेज होने से इस्तीफे की मांग उठी

घटनाक्रम में सिद्धू खेमे से जुड़े पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के पति और पूर्व डीजीपी मुहम्मद मुस्तफा ने प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग पर सीधा हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है. मुस्तफा ने न केवल वड़िंग के नेतृत्व पर सवाल उठाए, बल्कि कांग्रेस हाईकमान की कार्यशैली पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी को अब एक मजबूत और प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है, जो संगठन को एकजुट कर सके.

मुस्तफा के इस बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के भीतर हलचल और तेज हो गई है.यह बयान पार्टी के अंदर चल रही लंबे समय से दबी हुई असंतोष की भावना को सार्वजनिक रूप से सामने लाता है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +91 44 4564 4000, फैक्स : +91 44 4564 4022

सार्वजनिक सूचना

स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

इसके द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है और बार-बार अनुस्मारक और नोटिस के बावजूद, उधारकर्ता सुविधा के तहत निर्धारित समय के भीतर बकाया देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं. तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अपने देय की वसूली के लिए 11-अगस्त-2026 से 13-अगस्त-2026 तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा. उधारकर्ताओं को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि लागू प्रासंगिक ब्याज, शुल्क और खर्चों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि चुकाने का यह अंतिम अवसर निरीक्षण/बोली तिथि से पहले है, ऐसा न करने पर गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नियामकों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा.

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम	शाखा का नाम
170147407	जयप्रकाश पाटीदार	सांवेर रूरल
182708180	रविन्द्र पंवार	सनावद रूरल
182143376	रविन्द्र पंवार	सनावद रूरल
177397110	विनोद यादव	हरदा रूरल

नीलामी की स्थिति में यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कमी/कमी रहती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूली योग्य होगी. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी से किसी भी खाते को हटाने का अधिकार है. इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना कोई पूर्व सूचना दिए, अपने विवेक से नीलामी कार्यक्रम को बाद की तारीख में संशोधित करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. नीलामी भौतिक मोड में इसके सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से सुबह 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक आयोजित की जाएगी. यदि ग्राहक मृत है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामांकित व्यक्ति/कानूनी वारिस पर लागू होंगी.

नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :-

1. संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री 'जहां है जैसा है', 'जिस स्थिति में है जैसा है' और 'जो कुछ भी वहां है' के आधार पर होगी.
2. इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के पास पंजीकरण कराना होगा और केवाईसी आवश्यकताओं का पालन करना होगा.
3. बोली लगाने से पहले आभूषणों और विशिष्टताओं के बारे में खुद को जांचना और संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी. बोलीदाता शाखा प्रबंधक के परामर्श से आभूषणों का निरीक्षण कर सकता है.
4. उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी.
5. सफल बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करेगा, ऐसा न करने पर पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी.
6. एक बार बेचे जाने के बाद गोल्ड पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीदार द्वारा इसका भौतिक कब्जा लेने के बाद विक्रेता की किसी भी प्रकृति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
7. बैंक का अधिकृत प्रतिनिधि बिना किसी पूर्व सूचना के या कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
8. बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.

दिनांक : 06-07-2026
स्थान : मध्य प्रदेश

हस्ताक्षर/-
अधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के लिए

हस्तियों के ट्वीट

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि सिर्फ़ ठीक है नहीं। जो कोई भी अमेरिका से प्यार नहीं करता, वह गद्दार है और तिरस्कार के लायक है. जो लोग अमेरिका से प्यार नहीं करते, जो बेवफ़ा हैं, उन्हें तुरंत देश निकाला दे देना चाहिए।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि अमेरिका निरंतर विकास की प्रक्रिया में है. हर पीढ़ी को पिछली पीढ़ी के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना होता है—सही बातों की रक्षा करना, गलत बातों को सुधारना और अपने संघ को थोड़ा और परिपूर्ण बनाना.

आज का इतिहास

- 1885 : महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने रेबीज रोधी टीके का पहली बार इस्तेमाल किया.
- 1892 : दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले प्रथम अश्वेत एवं भारतीय बने.
- 1901 : भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी का जन्म.
- 1935 : तिब्बत समुदाय के 14 वें गुरू दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो का जन्म.
- 1944 : नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार 'राष्ट्रपिता' के संबोधन से पुकारा.
- 1946 : नीतिशास्त्र के महान दार्शनिक पीटर सिंगर का जन्म.
- 1947 : सोवियन संघ में एके-47 रायफलों का निर्माण शुरू.

सरकार ने मेटा से 7 दिन में जवाब मांगा

नई दिल्ली, 5 जुलाई. केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए इंस्टाग्राम पर कथित बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री वाले विज्ञापनों के मामले में नोटिस जारी किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी से सात दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी विज्ञापनों को तुरंत प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। सरकार ने यह कदम एक हालिया रिपोर्ट के बाद उठाया है, जिसमें दावा किया गया था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कुछ पेड विज्ञापनों के जरिए बाल शोषण से जुड़ी सामग्री को प्रमोट किया जा रहा था। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा का रिकमेंडेशन एल्गोरिद्म इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा दे सकता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन विज्ञापनों पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ताओं को कथित तौर पर टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा था.

ओडिशा-मणिपुर में मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी

भुबनेश्वर, 05 जुलाई. चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत ओडिशा और मणिपुर की मतदाता सूची का ड्राफ्ट रविवार को जारी कर दिया. पुनरीक्षण के दौरान दोनों राज्यों में लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है, वे 5 जुलाई से 4 अगस्त तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. अंतिम मतदाता सूची 6 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी. ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. एस. गोपालन ने बताया कि 20 मई को मतदाता सूची फ्रीज होने के समय राज्य में 3.33 करोड़ मतदाता थे. 30 मई से 28 जून तक चले विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद अब ड्राफ्ट मतदाता सूची में 3.13 करोड़ मतदाता हैं. इनमें 1.60 करोड़ पुरुष, 1.53 करोड़ महिलाएं और 2,775 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. सीईओ ने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे बीएलओ, ईसीआईनेट मोबाइल एप या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए निर्धारित फॉर्म, घोषणा पत्र और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. उन्होंने बताया कि 5 जुलाई से 4 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी.

ई-नीलामी बिक्री सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN - U67100MH2007PLC174759

पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, पहली मंजिल, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई - 400098.

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 8(5) एवं (6) नियम 9(1) के अंतर्गत प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

असाइनर की वित्तीय सुविधाएं **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को सौंपी गई हैं, जो दिए गए कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है। उक्त असाइनमेंट के अनुसरण में, **ईएआरसी** ने असाइनर के स्थान पर कदम रखा और सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया। **ईएआरसी** ने, सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपनी क्षमता में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और उसके तहत नियमों के तहत नीचे उल्लिखित अचल सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। एतद्द्वारा नोटिस सर्व साधारण और विशेषकर कर्जदार और जमानती (ओं) को **15/30 दिन की सूचना** दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पक्ष में बंधक अधोल्लिखित अचल प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ जिनका **भौतिक कब्जा** प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा ले लिया गया है, **ईएआरसी** के देय नीचे वर्णित राशियों और इस पर आगे की ब्याज व अन्य व्यय/लागतों, घटाए कर्जदार और जमानती से **ईएआरसी** को प्राप्त कोई धनराशि, की वसूली के लिए **"जो है जहाँ है" और "जहाँ है, जैसी भी है" और "जो भी है"** आधार पर बिक्री की जायेंगी। प्रत्येक संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे वर्णित हैं। इस नोटिस को सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं नियम 9(1) के तहत बिक्री की सूचना के रूप में माना जाएगा ।

नीलामी के लिए रखीं प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण:

ऋण खाता सं./बिक्री संस्थान	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	कुल बकाया राशि दिनांक 03.07.2026 को	आरक्षित मूल्य (रु. में)	अग्रिम जमा राशि ईएमडी (रु. में)	नीलामी तिथी व समय	कब्जे का प्रकार
611573619 एवं 611572917	1. श्री चौधरी सुरेश (ऋणी) 2. श्रीमती संगीता चौधरी (सह-ऋणी)	EARC-TRUST-SC-469	₹ 33,30,993.2	₹ 35,00,000/-	₹ 3,50,000/-	22.07.2026 दोप. 01:00 बजे	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण: मकान नंबर बी-73, एमआईजी, जवाहर नगर, म.प्र. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, महूगाँव, महू, ज़िला - इंदौर (मध्य प्रदेश) - 453488 स्थित सम्पत्ति का समस्त भाग एवं अंश, **चर्तुःसीमाएँ:** पूर्व: मकान नंबर बी 72, पश्चिम : मकान नंबर बी 74, उत्तर: सड़क, दक्षिण: प्लॉट नंबर 80 एवं 81

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी:

1.	ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) **"एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - ईएमडी अकाउंट"** के पक्ष में मुंबई में देय होगा।	
2.	आरटीजीएस के माध्यम से किये गए ईएमडी भुगतान निम्नलिखित खाते में होंगे: खाता का नाम: **"एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - ईएमडी खाता"** खाता संख्या: 000405158602; **बैंक का नाम** -आईसीआईसीआई बैंक लि.; **आईएफएससी कोड:** ICIC0000004	
3.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राप्त किए जायेंगे।
4.	बोली जमा करने का स्थान	रिटेल सेन्ट्रल ऑफिस, मुम्बई (ऊपर दर्शाये गये पते पर)
5.	नीलामी का स्थान (नीलामी हेतु वेबसाईट)	ई-नीलामी **(https://auction.edelweissarc.in)**
6.	संपर्क विवरण	टोल फ्री नंबर : **1800 266 6540**
7.	संपत्ति के निरिक्षण की तिथि एवं समय	पूर्व समयादेशानुसार

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया ईएआरसी की वेबसाइट अर्थात **https://auction.edelweissarc.in** पर दिया लिंक देखें।

दिनांक : 06.07.2026
स्थान : मुम्बई

प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड

RELIGARE Values that bind

CIN:U74999DL1995PLC064132

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम मंजिल, ऑफिस नं. 101, 2E/23, झंडेलवालन एक्स, नई दिल्ली-110055

कॉर्पोरेट कार्यालय : मेक्स हाउस, 7वीं मंजिल, ब्लॉक ए, डॉ. झा मार्ग, ओखला फेस-III, ओखला इंडस्ट्रीयल ईस्टेट, नई दिल्ली - 110020

शाखा कार्यालय : 406-407, चौथी मंजिल, सो लकी कार्नर चाकला अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400099

परिशिष्ठ-IV-ए

नीलामी-सह-विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और नियम 9 (1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम (सरफेसी अधिनियम), 2002 के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी-सह-बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी/जमानतदार(रों)/बंधककर्ता(ओं) को नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संक्षेप में 'संपत्ति') सुरक्षित लेनदार (अर्थात मेसर्स रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड, संक्षेप में 'RFL') के पास गिरवी/प्रभारित की ई-नीलामी-सह-बिक्री आयोजित करने के लिए नोटिस दिया जाता है। RFL के ऋणी/ जमानतदार(रों)/ बंधककर्ता(ओं) अर्थात **प्रेम कुमार अग्रवाल, विकास अग्रवाल, राजेश कुमार अग्रवाल, सभी निवासी म्युनिसिपल नंबर 105, पुराना नंबर 50, एबी रोड, देवास म.प्र., राधा देवी अग्रवाल मकान नंबर 07, कवि काली दास मार्ग, अग्रवाल राम मंदिर के सामने, देवास 455001 म.प्र. एवं सत्य नारायण अग्रवाल निवासी - 29, कृष्णा पुरा, देवास 455001 म.प्र.,** से **08 जून 2026** की स्थिति के अनुसार अद्यतन, ब्याज, लागत और प्रभार के साथ **रू.15,91,32,014.59/- (रूपये पन्द्रह करोड़ इक्यानवे लाख बत्तीस हजार चौदह एवं उनसाहठ पैसे मात्र)** की वसूली हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", "जो कुछ भी है" और "कोई सहारा नहीं"** आधार पर नीचे वर्णित "आरक्षित मूल्य" पर संपत्ति की ब्रिक्री के लिए प्रस्ताव है एवं ई-नीलामी केवल वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com/** के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से **23 जुलाई 2026 को दोपहर 02.30 बजे से दोपहर 03.30 बजे तक (निर्धारित नीलामी/बिक्री तिथि)** प्रत्येक 5 मिनिट के असिमित विस्तार के साथ आयोजित की जाएगी। जैसा कि उक्त उल्लिखित ऋणी/ जमानतदार(रों)/ बंधककर्ता(ओं) ने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना दिनांक **11 मई, 2018** से 60 दिनों के भीतर सुरक्षित लेनदार की ऋण राशि को चुकाने में विफल रहे हैं।

जबकि सुरक्षित लेनदार ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(1) के प्रावधानों एवं धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से **08.08.2018** को नीचे उल्लिखित बंधक संपत्ति का रचनात्मक कब्जा ले लिया है।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(2) के अंतर्गत धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत **08.08.2018** को इस तरह का कब्जा लेने के संबंध में सूचना दिनांक **14.08.2018** को **"स्वदेश"** (हिंदी) और **"फ्री प्रेस"** (अंग्रेजी) समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा, बंधक संपत्ति का **भौतिक कब्जा** - पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर 800 वर्ग फीट के कुछ हिस्से को छोड़कर, जिसमें उधारकर्ता(ओं) एसए नं. 137/2019 के संदर्भ में अपना कार्यालय संचालित कर रहे हैं, को भी **26 मार्च 2019** को **कुर्क अमीन** की सहायता से सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत माननीय ए.डी.एम. देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक **27.02.2019** के अनुपालन में लिया गया है।

और उसके बाद भी ऋणी/ जमानतदार(रों)/ बंधककर्ता(ओं) RFL को उक्त ऋण चुकाने में विफल रहे, तदनुसार, सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी ने उक्त निर्धारित संपत्ति को बेचने का निर्णय लिया है।

नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य **रू. 4,92,07,500/- (रूपये चार करोड बानवे लाख सात हजार पॉच सौ मात्र)** एवं बयाना राशि **रू. 49,20,750/- (रूपये उनपचास लाख बीस हजार सात सौ पचास मात्र)** होगी अर्थात आरक्षित मूल्य का **10%** जो डीडी/पीओ के माध्यम से **"रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड"** के पक्ष में बोली के साथ-साथ इच्छुक बोलीदाता/क्रेता(ओं) द्वारा RFL के शाखा कार्यालय **"406-407, चौथी मंजिल, सो लकी कार्नर चाकला अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400099"** पर **22.07.2026** के शाम 5:00 बजे या उससे पहले (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। सफल बोलीदाता/क्रेता को बिक्री प्रतिफल का कम से कम 25% [बोली के साथ भुगतान की गई ईएमडी राशि सहित] जमा करना होगा या तो बिक्री की पुष्टि के उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल जमा करना आवश्यक होगा।

अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण

संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, म्युनिसिपल नं. 105, पुराना नं. 50, एबी रोड़, देवास प्लाट क्षेत्र 10750 वर्गफीट, देवास (म.प्र). चर्तुसीमा इस प्रकार है :- उत्तर - देवी मंदिर की पहाड़ियाँ, दक्षिण - ए बी रोड, पूर्व - एमपीईबी कार्यालय, पश्चिम - खुली भूमि एवं नगर पालिका की पानी की टंकी

सुरक्षित संपत्ति की प्रकृति - फ्रीहोल्ड

ज्ञात भार

RFL को बेची जाने वाली सुरक्षित संपत्ति पर RFL को छोड़कर अन्य किसी कानूनी भार के बारे में पता नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी संतुष्टि के लिए सुरक्षित संपत्तियों का मूल्यांकन स्वयं कर सकते है। सुरक्षित लेनदार (RFL) किसी भी तरह से उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति की फिटनेस/शीर्षक के संबंध में कोई गारंटी नहीं देता है या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

संपत्ति को बिना किसी पूर्वाग्रह के नीलामी के लिए रखा जा रहा है और यह प्रतिभूतिकरण आवेदन क्रं. 137/2019 में माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण जबलपुर के निर्णय के अधीन होगी, जो प्रेम कुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड एवं अन्य द्वारा दायर किया गया है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया RFL (सुरक्षित लेनदार) की वेबसाइट यानी **https://www.religarefinvest.com/auction-notices** में दिए गए लिंक/यूआरएल को देखें।

ई-नीलामी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता **मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** से **श्री धरणी कृष्णा, एवं मोबाइल +91-9948182222; (प्रातः 09:00 रात 09:00 के मध्य) एवं सपोर्ट टीम मोबाईल नं. +91 7291981124,25,26 (प्रातः 09:30 सायं 06:00 के मध्य) ई-मेल आईडी: andhra@c1india.com/support@bankeauctions.com** के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया **श्री रमेश सिंह** से उनके मोबाइल नंबर **9981508001** या उनकी ई-मेल आईडी: **ramesh.singh@religare.com एवं श्री अभिषेक कुमार शुक्ला** से उनके मोबाइल नंबर **7303741199** या उनकी ई-मेल आईडी: **abhishek.shukla1@religare.com** पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी
रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड
(अभिषेक कुमार शुक्ला) एवीपी लीगल - EMP. CODE- 62929

दिनांक : 25.06.2026

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस, तीसरी मंज़िल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अ